

प्रमाण

अखिलेश चन्द्र गुप्ता,  
अनु. सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

752  
28/07/01

मेरा मे,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा सं-2, मन्दाय, मेरठ,  
प्रति विचार, नई दिल्ली ।

विज्ञा 171 अनुदान

संख्या: दिनांक-19 जुलाई, 2001

विषय:- कश्चि विद्या मंदिर उर्ध्व को सी०बी०सी०ई० नईदिल्ली से संबंधित हेतु अनारक्षित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र पाने का निर्देश हुआ है कि कश्चि विद्या मंदिर उर्ध्व को सी०बी०सी०ई० नईदिल्ली से संबंधित हेतु अनारक्षित प्रमाण पत्र दिये जाने का राज्य सरकार को निम्नांकित प्रतिलिपि के अधीन अनारक्षित नहीं है :-

- 1- विद्यार्थी की प्रवेशीयता सी०बी०सी०ई० के तन्त्र-तन्त्र पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यार्थी की प्रवेशीयता में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यार्थी में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उन्हे उ०मा०वि० शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यार्थियों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वैश्विक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यार्थी की संख्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उका केन्द्रीय परिषद की संख्या प्राप्त होने की तिथि से उ०मा०वि० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 5- संस्था वैश्विक एवं निदेशित कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त विद्यार्थी संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमति देना मतानी है कि वे मान्यता तथा अन्य मदों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा नहीं जारी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त आकांक्षीय उ०मा०वि० शिक्षा परिषद के कर्मचारियों के अनुमति देना निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निम्न दिये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- उक्त छाँट में राज्य सरकार के प्रावधानों के बिना कोई परीक्षण/संशोधन या परीक्षण नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसीतन्त्र यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी भी प्रकार की धूल या सिफारिशें की जाती हैं तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपारित प्रमाण का वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

। अधिकृत वन्दु गुप्त ।  
अनु सचिव ।

पुं०-3527111/15-7-72 दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुझाव एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मजदूरों के संघ शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- शिक्षा विभाग, मिर्जापुर, उरई ।
- 4- जिला भारतीय विभाग, उरई ।
- 5- मुख्य, जिला शिक्षा अधिकारी उरई ।

आज्ञा है,

। अधिकृत वन्दु गुप्त ।  
अनु सचिव ।